रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05112026-277710
CG-DL-E-05112026-277710

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 870] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 2026/कार्तिक 13, 1948
No. 870] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2026/KARTIKA 13, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2026

सा.का.नि. 972(अ).— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और

i. पोत परिवहन कार्यालय, बंबई/कलकत्ता (वर्ग तृतीय और वर्ग चतुर्थ पद) भर्ती नियम, 1969, जहां तक वे आशुलिपिक और उच्च श्रेणी लिपिक के पदों से संबंधित हैं;

ii. नाविक रोजगार कार्यालय, बंबई/कलकत्ता (वर्ग तृतीय और वर्ग चतुर्थ पद) भर्ती नियम, 1969, जहां तक वे आशुलिपिक और उच्च श्रेणी लिपिक के पदों से संबंधित हैं;

iii. पोत परिवहन महानिदेशालय, (समूह 'ग' और समूह 'घ' के पद) भर्ती नियम, 1990, जहां तक वे आशुलिपिक श्रेणी तृतीय और उच्च श्रेणी लिपिकों (स्वागतकर्ता सहित) के पदों से संबंधित हैं;

iv. वाणिज्यिक समुद्री विभाग, मद्रास, कोचीन, विशाखापत्तनम, तूतीकोरिन और क्षेत्रीय कार्यालय (पाल) तूतीकोरिन और कालीकट (समूह ग और समूह घ पद) भर्ती नियम, 1991, जहां तक वे उच्च श्रेणी लिपिक, वाणिज्यिक

समुद्री विभाग, मद्रास - 4, कोचीन - 2, विशाखापत्तनम - 2, तूतीकोरिन - 1, क्षेत्रीय (पाल) कालीकट - 1, क्षेत्रीय (पाल) तूतीकोरिन - 1 और आशुलिपिक श्रेणी III, सवावि, मद्रास - 2, सवावि, कोचीन - 1, सवावि, विशाशापत्तनम - 1 से संबंधित हैं;

v. वाणिज्यिक समुद्री विभाग, मुंबई, जामनगर और मोरमुगाओ और क्षेत्रीय कार्यालय (पाल), मुंबई और जामनगर (समूह ग और समूह घ पद) भर्ती नियम, 1991, जहां तक वे उच्च श्रेणी लिपिक के पदों से संबंधित हैं, वाणिज्यिक विभाग, बंबई जामनगर मारुगाओ क्षेत्रीय कार्यालय (पाल) बंबई जामनगर और आशुलिपिक श्रेणी - III वाणिज्यिक समुद्री विभाग, बंबई, जामनगर, मारमुगाओ, और

vi. वाणिज्यिक समुद्री विभाग, कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1991, जहां तक वे उच्च श्रेणी लिपिक वाणिज्यिक समुद्री विभाग, कलकत्ता, पोर्ट ब्लेयर के पदों से संबंधित हैं

को इन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है,पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन महानिदेशालय पोत परिवहन, मुबंई और सभी वाणिज्यिक समुद्री विभागों तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों में आशुलिपिक श्रेणी द्वितीय और उच्च श्रेणी लिपिकों के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: - (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय, मुंबई तथा सभी वाणिज्यिक समुद्री विभागों, तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों के (समूह 'ग' पदों) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. **लागू होना. -** ये नियम, इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स से स्तर -** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्दति, आयु-सीमा, अर्हताए, आदि- उक्त पदो पर भर्ती की पद्दति**, आयु-सीमा, **अर्हताए** और उससे संबंधित अन्य मामले वही होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

5. **निरर्हता-** वह व्यक्ति -

(अ) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ब) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार, का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह इसके लिए जो कारण है, उन्हे लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपवंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत आदेश व्दारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतो पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदों का नाम।	पदों की संख्या
(1)	(2)
1. आशुलिपिक श्रेणी II.	4* (2026). (क) समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय, मुंबई - 01; (ख) वाणिज्यिक समुद्री विभाग, मुंबई - 02; और (ग) समुद्री वाणिज्य विभाग, कांडला - 01 * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

वर्गीकरण.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500-81100/-)	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार चालीस वर्ष तक के विभागीय उम्मीदवारों के लिए शिथिलनीय)। **टिप्पण:** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) कौशल परीक्षण मानदंड। - श्रुतलेखन: अस्सी शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट; प्रतिलेखन: एक मैनुअल टाइपराइटर पर पैंसठ मिनट (अंग्रेजी) और पचहत्तर मिनट (हिंदी) या कंप्यूटर पर पचास मिनट (अंग्रेजी) और पैंसठ मिनट (हिंदी)। **टिप्पण 1:** अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में, इसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अर्हताओं में शिथिल की जा सकती हैं।

				टिप्पण 2: कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार इसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करते हुए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में, अनुभव संबंधी अर्हता में शिथिलता दी जा सकती है यदि चयन के किसी भी चरण में, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की राय है कि उन समुदायों से संबंधित ऐसे पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी जिनके पास अपेक्षित अनुभव है, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने की संभावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन के मामले में किस ग्रेड से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष **नोट:** केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित परिवीक्षा की सफलतापूर्वक पूर्णता के लिए सीधी भर्ती किए गए लोगों के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का आज्ञापक इंडक्शन प्रशिक्षण होगा।	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती। **नोट:** रिक्तियाँ प्रतिनियुक्ति, दीर्घ बीमारी या अध्ययन अवकाश पर होने या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए हुई हो, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जा सकती है जो नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण कर रहे हो और स्तम्भ (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता रखते हो	लागू नहीं

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना है ?	वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(12)	(13)
विभागीय संपुष्टि समिति (संपुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित हैं: - 1. उप महानिदेशक, समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय (कार्मिक या प्रशासन) - अध्यक्ष; 2. उप महानिदेशक, समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय या पोत परिवहन सर्वेक्षक या इंजीनियर और पोत सर्वेक्षक या पोत सर्वेक्षक (अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधि) - सदस्य 3. सहायक पोत परिवहन महानिदेशक - सदस्य।	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)
2. उच्च श्रेणी लिपिक।	101* (2026). (अ) समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय, मुंबई - 34; (ब) वाणिज्यित समुद्री विभाग, मुंबई - 10; (स) वाणिज्यित समुद्री विभाग, चेन्नई - 15; (द) वाणिज्यित समुद्री विभाग, कोलकाता - 08; (इ) वाणिज्यित समुद्री विभाग, कांडला - 01; (फ) वाणिज्यित समुद्री विभाग, कोच्चि - 04; (ग) सरकारी पोत परिवहन कार्यालय - 19; और (ई) नाविक रोजगार कार्यालय - 10 * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500-81100)	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार चालीस वर्ष तक के विभागीय अभ्यर्थियों के लिए शिथिल की जा सकती है ।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष। **टिप्पण 1:** अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में इसके लिए जो कारण है उन्हे लेखबद्ध करके कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अर्हताएँ शिथिल की जा सकती हैं।

			टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी)	**टिप्पण 2:** कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार इसके लिए जो कारण है उन्हे लेखबद्ध करते हुए, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में, अनुभव सबंधी अर्हता में शिथिलता दी जा सकती है, यदि चयन के किसी भी चरण में, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की राय है कि उन समुदायों से सबंधित ऐसे पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी के पास अपेक्षित अनुभव है, उनके लिए आरक्षित रिक्तियो को भरने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	लागू नहीं	(i) पचास प्रतिशत। पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ii) पचास प्रतिशत। सीधी भर्ती द्वारा.	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 में अवर श्रेणी लिपिक (19900 रुपये - 63200 रुपये) श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा के साथ। **टिप्पण :-** जहां कनिष्ठों ने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, और जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या 2 वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्च श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि पहले ही सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश प्रशासनों के अधिकारी: (अ) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण करते हों, या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में स्तर -2 में वेतन मैट्रिक्स (रु. 19900-63200) या समकक्ष में नियमित आधार पर अवर श्रेणी लिपिक के रूप में पद पर नियुक्ति के बाद आठ साल की सेवा प्रदान की गई हो; और

			(आ) स्तंभ (7) के तहत सीधी भर्ती के लिए विहित योग्यता और अनुभव रखने वाले। **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्तिकर्ता पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, आम तौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 'छप्पन वर्ष से अधिक नहीं' होनी चाहिए।

(12)	(13)
विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं: - 1. उप महानिदेशक, समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय (कार्मिक या प्रशासन - अध्यक्ष; 2. उप महानिदेशक, समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय या नौवहन सर्वेक्षक या इंजीनियर और नॉटिकल सर्वेक्षक या इंजीनियरिंग पोत सर्वेक्षक (अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधि) - सदस्य; 3. संबद्ध कार्यालयों और अधीनस्थ कार्यालयों सहित किसी अन्य केन्द्रीय कार्यालय का अवर सचिव या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी - सदस्य। विभागीय संपुष्टि समिति (संपुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं: - 1. उप महानिदेशक, समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय (कार्मिक या प्रशासन) - अध्यक्ष; 2. उप महानिदेशक, समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय या नॉटिकल सर्वेक्षक या इंजीनियर और पोत सर्वेक्षक या पोत सर्वेक्षक (अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधि) - सदस्य; 3. सहायक पोत परिवहन महानिदेशक - सदस्य।	लागू नहीं होता ।

[फा. स. ए.-12011/7/2022 - एम. ए (356055)]

वेंकटेशपति एस, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(Directorate General of Maritime Administration)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2026

G.S.R. 972(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of –

i. the Shipping Office, Bombay/Calcutta (Class III and Class IV Posts) Recruitment Rules, **1969,** in so far as they relate to the posts of Stenographer and Upper Division Clerks.;

ii. the Seamen's Employment Office, Bombay/Calcutta (Class III and Class IV Posts) Recruitment Rules, **1969,** in so far as they relate to the posts of Stenographer and Upper Division Clerks.;

iii. the Directorate General of Shipping, (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, **1990**, in so far as they relate to the posts of Stenographer Grade III and Upper Division Clerks (including Receptionist);

iv. the Mercantile Marine Departments, Madras, Cochin, Visakhapatnam, Tuticorin and Regional Offices (Sails) Tuticorin and Calicut (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, **1991,** in so far as they relate to the posts of Upper Division Clerk, Mercantile Marine Department, Madras – 4, Cochin – 2, Visakhapatnam – 2, Tuticorin – 1, Regional (Sails) Calicut – 1, Regional (Sails) Tuticorin – 1 and Stenographer Grade III, MMD, Madras – 2, MMD, Cochin – 1, MMD, Vizag - 1;

v. the Mercantile Marine Departments, Mumbai, Jamnagar and Mormugao and Regional Offices (Sails), Mumbai and Jamnagar (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, **1991**, in so far as they relate to the posts of Upper Division Clerks. Mercantile Departments, Bombay Jamnagar Marugao Regional Offices (Sails) Bombay Jamnagar and Stenographer Grade – III Mercantile Marine Departments, Bombay Jamnagar Marmugoa, and

vi. the Mercantile Marine Departments, Calcutta and Port Blair (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, **1991,** in so far as they relate to the posts of Upper Division Clerk Mercantile Marine Department, Calcutta, Port Blair,

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Stenographer Grade II and Upper Division Clerks in the Directorate General of Maritime Administration, Mumbai and all Mercantile Marine Departments and its subordinate offices under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, namely:—

1. **Short title and commencement** .- (1) These rules may be called the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Directorate General of Maritime Administration, Mumbai and all Mercantile Marine Departments and its subordinate offices (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application**.–These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix**.– The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification**. – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a living spouse, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other backward classes, the ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.
(1)	(2)
Stenographer Grade II.	4* (2026). (a) Directorate General of Maritime Administration, Mumbai – 01; (b) Mercantile Marine Department, Mumbai – 02; and (c) Mercantile Marine Department, Kandla – 01. *Subject to variation dependent on workload.

Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) 12^{th} class pass from a recognized Board. (ii) Skill Test Norms**.** – dictation: ten minutes at eighty words per minute; transcription: sixty-five minutes (english) and seventy-five minutes (hindi) on manual typewriter or fifty minutes (English) and sixty-five minutes (Hindi) on computer. **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities

				possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption; to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years for direct recruits. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for direct recruits for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	Direct recruitment through Staff Selection Commission. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts or regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at column 7.	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: – 1. Deputy Director General, Directorate General of Maritime Administration (Personnel or Administration) – Chairperson; 2. Deputy Director General, Directorate General of Maritime Administration or Nautical Surveyor or Engineer and Ship Surveyor or Ship Surveyor (representative of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes) – Member; 3. Assistant Director General of Shipping – Member.	Not applicable.

(1)	(2)
2. Upper Division Clerk.	101* (2026). (a) Directorate General of Maritime Administration, Mumbai – 34; (b) Mercantile Marine Department, Mumbai – 10; (c) Mercantile Marine Department, Chennai – 15; (d) Mercantile Marine Department, Kolkata – 08; (e) Mercantile Marine Department, Kandla – 01; (f) Mercantile Marine Department, Kochi – 04; (g) Government Shipping Office – 19; and (h) Seamen's Employment Office – 10. *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Non-selection	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through the Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications.)	Degree of a recognized University or equivalent. **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable	(i) Fifty per cent. by promotion, failing which by deputation. (ii) Fifty per cent. by direct recruitment.	**Promotion:** Lower Division Clerk in level-2 in the pay matrix (Rs.19900 – 63200) with eight years regular service in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

			Deputation: Officers of the Central Government or State Government, or Union territory administrations: (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent Cadre or Department; or (ii) with eight years service rendered after appointment to the post as Lower Division Clerk on a regular basis in level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of the receipt of applications.

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: – 1. Deputy Director General, Directorate General of Maritime Administration (Personnel or Administration – Chairperson; 2. Deputy Director General, Directorate General of Maritime Administration or Nautical Surveyor or Engineer and Ship Surveyor or Ship Surveyor (representative of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes) – Member; 3. An officer from other Central Government department including Allied offices and subordinate offices at level of Under Secretary and above – Member. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: – 1. Deputy Director General, Directorate General of Maritime Administration (Personnel or Administration) – Chairperson; 2. Deputy Director General, Directorate General of Maritime Administration or Nautical Surveyor or Engineer and Ship Surveyor or Ship Surveyor (representative of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes) – Member; 3. Assistant Director General of Shipping – Member.	Not applicable.

[F. No. A-12011/7/2022-MA (356055)]

VENKATESAPATHY S., Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA